CHETNA

छोटू और शेरा

बाल अधिकारों के रक्षक

छोटू और शेरा

बाल अधिकारों के रक्षक

प्रकाशन वर्षः 2025 | अंकः 1

कहानी और पटकथाः संजय गुप्ता व दीपेश कुमार सैन

पात्र व संवादः दीपेश कुमार सैन व संजय गुप्ता

परिकल्पना व संपादनः संजय गुप्ता, निर्देशक– चेतना संस्था

विशेष सहयोगः समस्त चेतना टीम एवं ट्रस्टी

प्रेरणा स्रोतः बालकनामा अखबार में मुद्रित सड़क एवं कामकाजी बच्चों की सच्ची खबरों से प्रेरित

सहयोगी टीमः उषा जस्टा, पूजा सिंह, सृष्टि, राजेंद्र कुमार व चुनचुन झा

चित्रांकन और डिजाइनः मन्ना मीडिया हब

छोटू और शेरा की कहानी शुरू होने से पहले आइए मिलते हैं इसके कुछ खास किरदारों से!

छोटू (10–12 वर्ष)
एक मेहनती लेकिन मजबूर बच्चा जो ढाबे में बर्तन धोता है। हालात से लड़ता है और फिर बनता है बच्चों के अधिकारों का रक्षक।

शेरा
गली का एक लाचार, पर वफादार कुत्ता जो छोटू का सबसे करीबी दोस्त बनता है। संकट में साथ देने वाला और दिल से "शेर" एवं छोटू के साथ मिलकर बच्चों की मदद करता है।

जुगनू (11–12 वर्ष)
बाल मजदूरी का शिकार मासूम बच्चा, जिसे छोटू और शेरा मिलकर बचाते हैं और स्कूल से जोड़ते हैं।

पुलिस अधिकारी (35–40 वर्ष)
कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी जो बच्चों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता से कार्य करते हैं और बाल संरक्षण कानूनों को गंभीरता से लागू करते हैं।

चाइल्डलाइन कार्यकर्ता (30–35 वर्ष)
बच्चों की मदद के लिए 1098 पर कार्यरत संवेदनशील और तत्पर सामाजिक कार्यकर्ता, जो हर कॉल को गंभीरता से लेते हैं।

बाल सुरक्षा अधिकारी (35–45 वर्ष)

बाल सुरक्षा अधिकारी (35–45 वर्ष): वह अधिकारी जो बाल विवाह निषेध अधिनियम और पोक्सो जैसे कानूनों को लागू करते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सभी जरूरी सहायता देता है।

सिम्मी (12 वर्ष)

एक संवेदनशील बालिका जो अपनी हिम्मत से पोक्सो अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाती है और अन्य बच्चों को जागरूक करती है।

फातिमा मैडम (40 वर्ष)

फातिमा मैडम (40 वर्ष): स्कूल की शिक्षिका जो बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से लेती हैं, और पोक्सो जैसे कानूनों के बारे में जानकारी रखते हुए बच्चों की रक्षा में सक्रिय रहती हैं।

प्रिंसिपल (45–50 वर्ष)

प्रिंसिपल (45–50 वर्ष): एक जिम्मेदार स्कूल प्रमुख, जो बच्चों से संबंधित किसी भी गंभीर मामले में चुप्पी नहीं साधते। वह कानून के अनुसार, जैसे कि पोक्सो अधिनियम 2012, के तहत तुरंत उचित कदम उठाते हैं।

चेतना कार्यकर्ता (25–30 वर्ष)

चेतना संस्था की सामजिक कार्यकर्ता जो बच्चों के अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत है – शिक्षा, स्कूल प्रवेश, दस्तावेजीकरण, काउंसलिंग, बाल संरक्षण और कानूनी जानकारी प्रदान करने में मदद करते है।

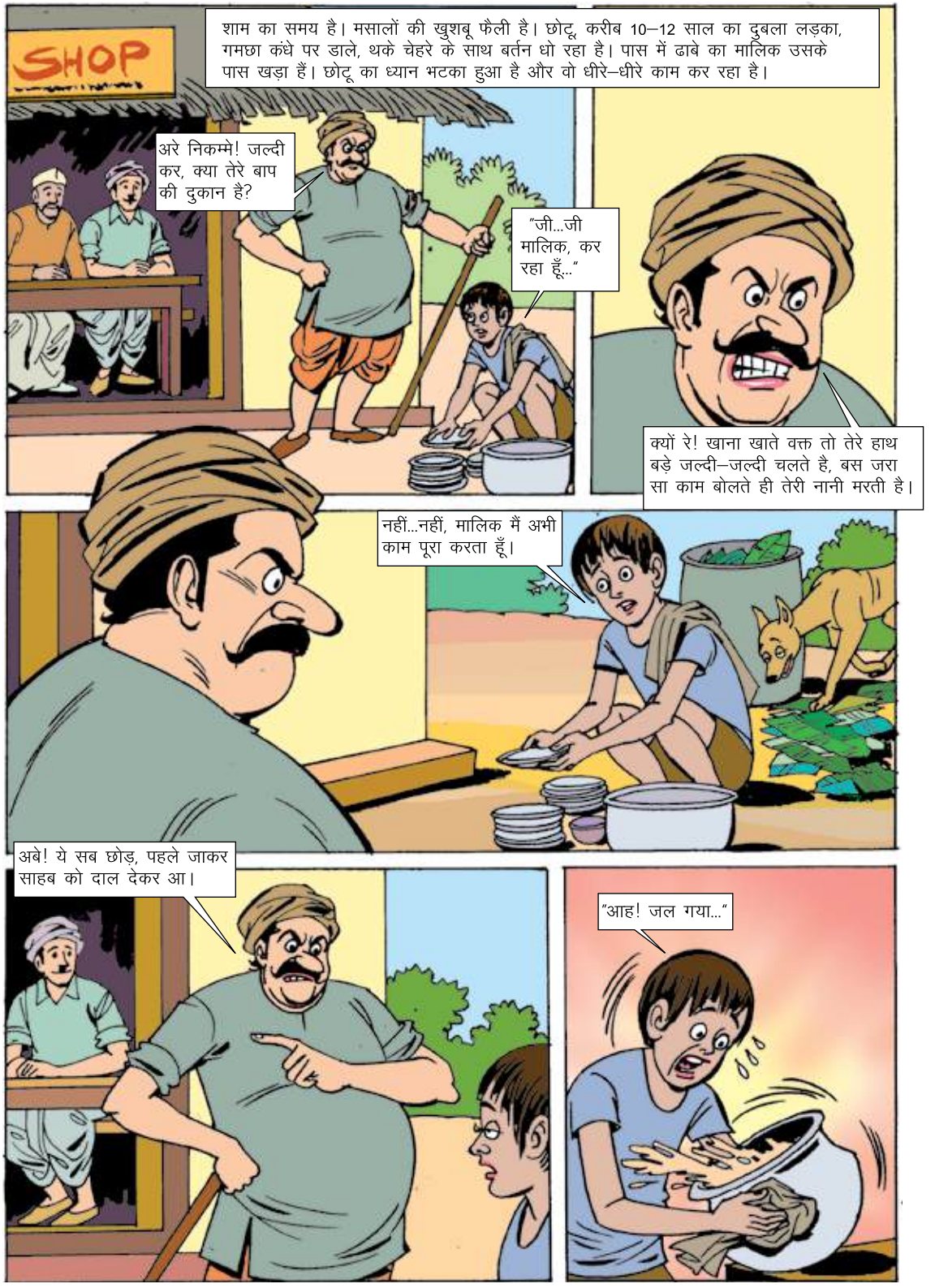
शाम का समय है। मसालों की खुशबू फैली है। छोटू, करीब 10–12 साल का दुबला लड़का, गमछा कंधे पर डाले, थके चेहरे के साथ बर्तन धो रहा है। पास में ढाबे का मालिक उसके पास खड़ा हैं। छोटू का ध्यान भटका हुआ है और वो धीरे–धीरे काम कर रहा है।
SHOP
अरे निकम्मे! जल्दी कर, क्या तेरे बाप की दुकान है?
"जी...जी मालिक, कर रहा हूँ..."
क्यों रे! खाना खाते वक्त तो तेरे हाथ बड़े जल्दी–जल्दी चलते है, बस जरा सा काम बोलते ही तेरी नानी मरती है।
नहीं...नहीं, मालिक मैं अभी काम पूरा करता हूँ।
अबे! ये सब छोड़, पहले जाकर साहब को दाल देकर आ।
"आह! जल गया..."

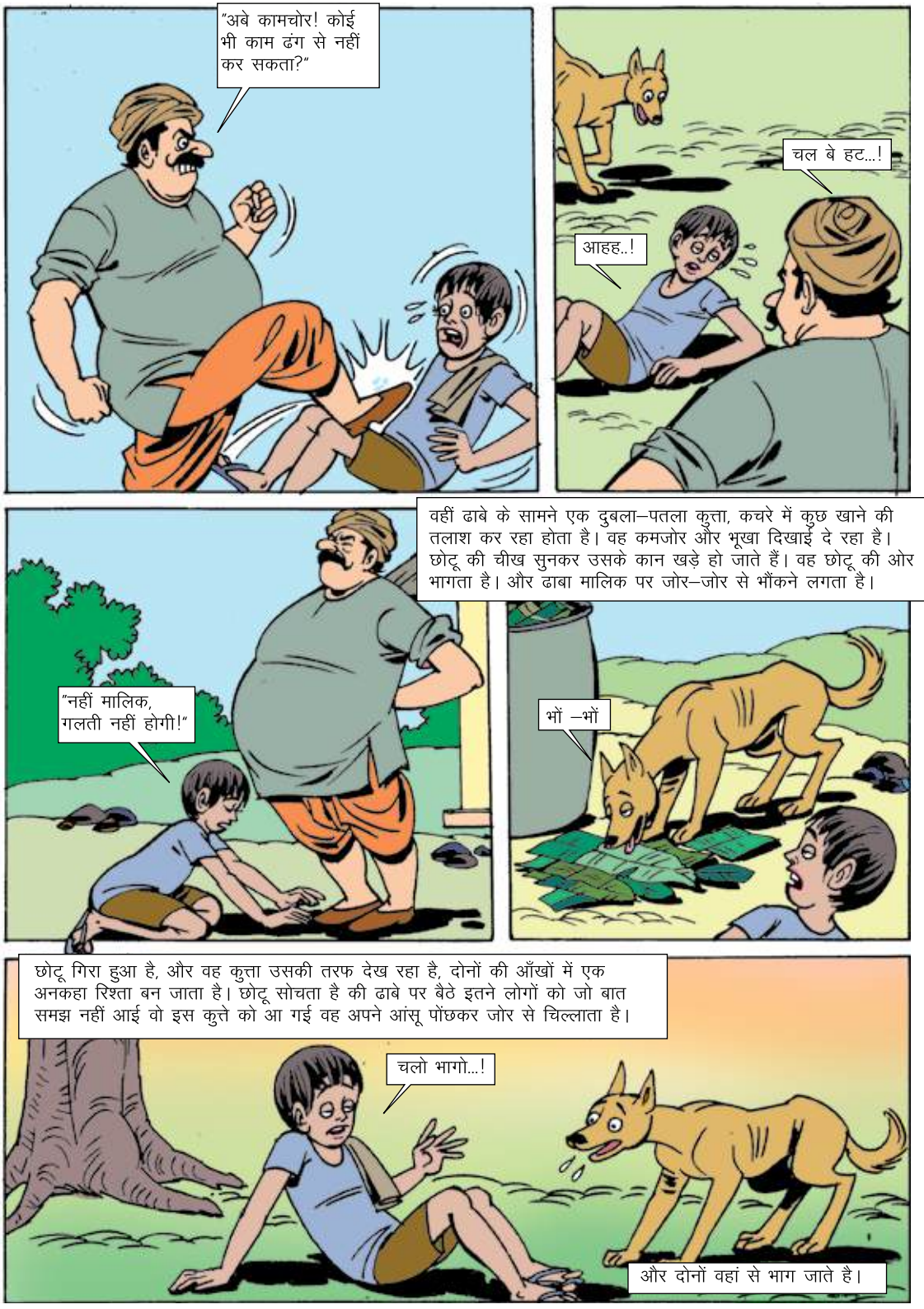

वहीं ढाबे के सामने एक दुबला–पतला कुत्ता, कचरे में कुछ खाने की तलाश कर रहा होता है। वह कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा है। छोटू की चीख सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह छोटू की ओर भागता है। और ढाबा मालिक पर जोर–जोर से भौंकने लगता है।

छोटू गिरा हुआ है, और वह कुत्ता उसकी तरफ देख रहा है, दोनों की आँखों में एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। छोटू सोचता है की ढाबे पर बैठे इतने लोगों को जो बात समझ नहीं आई वो इस कुत्ते को आ गई वह अपने आंसू पोंछकर जोर से चिल्लाता है।

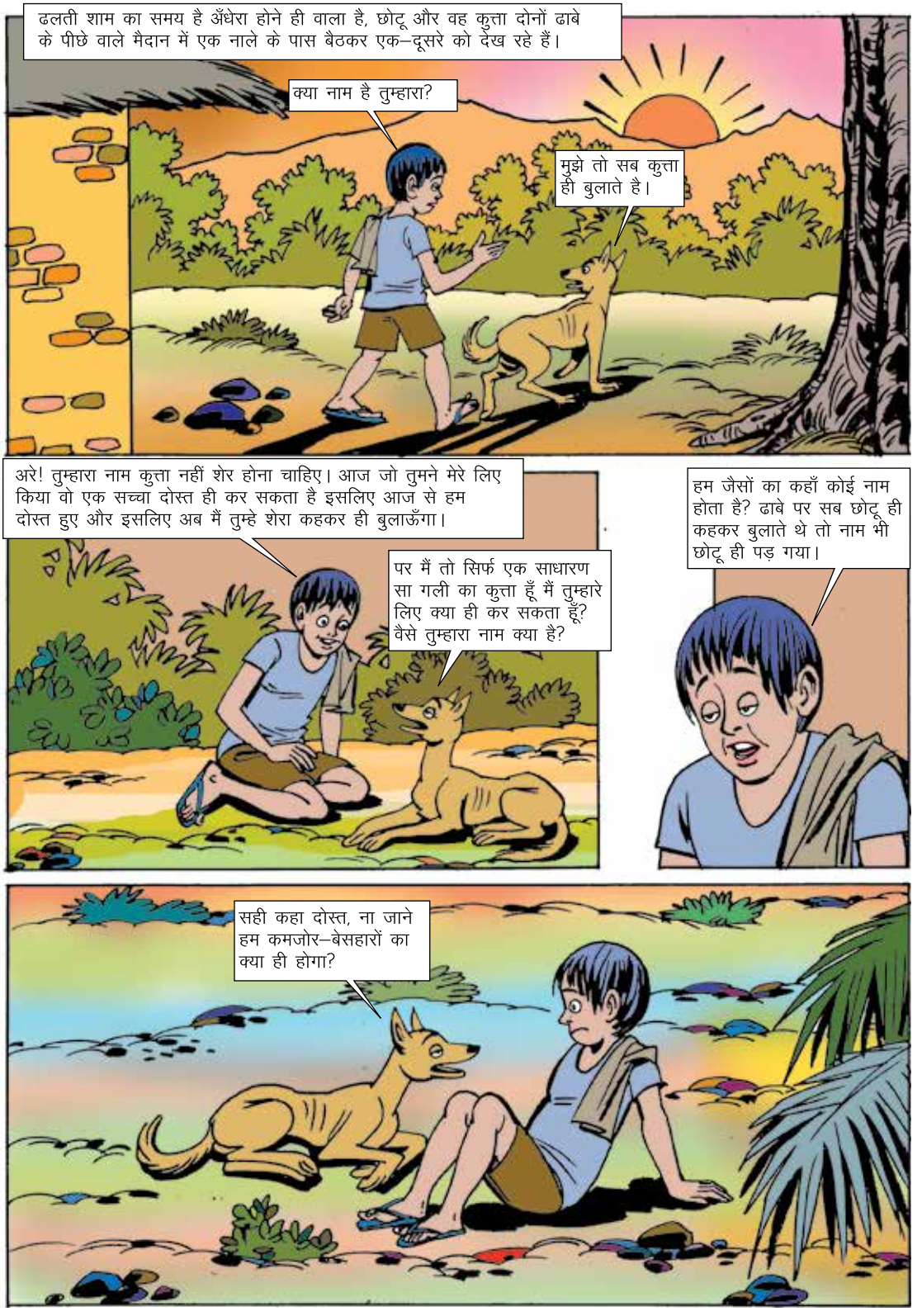
ढलती शाम का समय है अँधेरा होने ही वाला है, छोटू और वह कुत्ता दोनों ढाबे के पीछे वाले मैदान में एक नाले के पास बैठकर एक–दूसरे को देख रहे हैं।
क्या नाम है तुम्हारा?
मुझे तो सब कुत्ता ही बुलाते है।
अरे! तुम्हारा नाम कुत्ता नहीं शेर होना चाहिए। आज जो तुमने मेरे लिए किया वो एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है इसलिए आज से हम दोस्त हुए और इसलिए अब मैं तुम्हे शेरा कहकर ही बुलाऊँगा।
पर मैं तो सिर्फ एक साधारण सा गली का कुत्ता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
हम जैसों का कहाँ कोई नाम होता है? ढाबे पर सब छोटू ही कहकर बुलाते थे तो नाम भी छोटू ही पड़ गया।
सही कहा दोस्त, ना जाने हम कमजोर–बेसहारों का क्या ही होगा?

"हे ईश्वर! आपने हमें ऐसे यहाँ अनाथ और बेसहारा क्यों भेजा... क्या हमारा कोई हक नहीं इस दुनिया में? ऐसी जिंदगी से तो मौत ही भली!"
हमने कौन सा पाप किया था जो हमें यहाँ भूख और दर्द में जीने के लिए छोड़ दिया?
तभी आसमान में अचानक बादल गरजते हैं, तेज हवा चलती है, बिजली चमकती है। दोनों चौंककर ऊपर देखते हैं।
अरे ये क्या हो रहा है?
आसमान से एक तेज रोशनी निकलती है और आकाशवाणी होती है
"छोटू और शेरा, मैं तुम्हारी पीड़ा देख रहा हूँ। अब तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें बच्चों से सम्बंधित कानूनों और सहायक विभागों की जानकारियों की शक्तियां दे रहा हूँ, जिससे तुम औरों की भी मदद कर सकोगे।"
आसमान से एक जबरदस्त बिजली चमकती है, छोटू और शेरा की आँखों में चमक आ जाती है।
अरे ये क्या हो रहा है।
छोटू मुट्ठी बंद करता है तो उसे महसूस होता है कि उसमें एक नई ताकत आ गई है।
ये कैसा एहसास है?

शेरा भी हवा में छलांग लगाता है और खुद को पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर महसूस करता है।

अरे वाह!... अब मैं किसी भी बच्चे की मदद कर सकता हूँ!

छोटू और शेरा अब नए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वे दोनों अपनी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

"अब हम कमजोरों की मदद करेंगे!"

छोटू और शेरा चमकती रोशनी में नहा जाते हैं, और खुद को ताकतवर महसूस करते हैं।

"हाँ, अब कोई भी बच्चा अन्याय का शिकार नहीं होगा!"

ये.. हिप हिप हुर्रे...

बाल मजदूरी के शिकंजे से आजाद हुआ जुगनू

तभी अचानक उन्हें अपने अंदर शक्ति सी महसूस होती है और वो पलक झपकते ही उस बच्चे के पास पहुँच जाते है और देखते हैं की पास से एक बच्चा रोता हुआ गुजरता है, उसके हाथ में चोट लगी होती है।

हम्म...बच्चों से पंगा, पड़ेगा महंगा।
अच्छा! तो ये बात है फिर तो हमें कुछ करना होगा।
लेकिन हम इस बच्चे को अकेले कैसे बचा सकते हैं?
छोटू को कुछ याद आता है, वह उत्साहित हो जाता है।
अरे! मुझे याद आया कि जब कोई भी बच्चा मुसीबत में हो तो 1098 नंबर पर कॉल कर सकता है।
1098? ये क्या है?
ये चाइल्डलाइन का नंबर है, जहाँ बच्चों की मदद की जाती है।
पर हमारे पास तो कुछ रुपए भी नहीं है तो फोन कैसे करेंगे? और क्या पता इस वक्त वो हमसे फोन पर बात करेंगे भी या नहीं?

चाइल्डलाइन को हम दिन हो या रात, धूप हो या बरसात। कभी भी फोन लगा सकते है और यह निःशुल्क सेवा है इसलिए इस पर बिना रुपए के भी फोन लगता है।
तो देर किस बात की? चलो फोन करते हैं!
छोटू पास की दुकान से एक फोन उधार लेकर 1098 पर कॉल करता है।
हेलो, मैं छोटू बोल रहा हूँ। यहाँ एक बच्चा बहुत परेशानी में है, उसकी मदद कीजिए।
घबराओ मत, हमें बस उसका पता बताओ, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेंगे।
वाह! छोटू का वार, ना जाए बेकार
सही कहा दोस्त, अब हम अकेले नहीं हैं।

थोड़ी देर बाद एक चाइल्डलाइन की टीम वहाँ पहुँचती है, उनके साथ पुलिस भी होती है।

कौन है वो जिसने तुम्हें मारा?

जुगनू के इशारे पर पुलिस ढाबे के मालिक के पास जाती है और उसे फटकार लगाती है।

बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना और उन्हें मारना दण्डनीय अपराध है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।

ढाबे का मालिक डर जाता है और बहाने बनाने लगता है।

पुलिस ढाबे के मालिक को पकड़कर जीप में बैठा लेती है।

अरे साहब! ये तो बस इन शरारती बच्चों का कोई छोटा–मोटा मजाक था। मैं तो इस बच्चे को जानता भी नहीं।

चल! थाने, अब तुझे पता चलेगा जब 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना तो लगेगा ही और 6 महीने से 2 साल तक की सजा होगी वो अलग, जिसका फैसला अब कोर्ट ही करेगा।

चुप! कानून को मजाक समझता है।

जुगनू खुश होकर छोटू और शेरा की तरफ देखता है।

आपने मेरी मदद की, आपका बहुत धन्यवाद।

चाइल्डलाइन की टीम बच्चे को सुरक्षित अपने साथ ले जाती है।

अब तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हें पढ़ाई और रहने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा।

इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जुगनू बाल आश्रय गृह में रहने लगता है।

बाल आश्रय गृह

वाह! अब इस बच्चे को भी एक नया जीवन मिलेगा।

हाँ, अब कोई इससे जबरदस्ती बाल मजदूरी नहीं कराएगा।

संवैधानिक देखरेख में जुगनू को स्कूल जाते देख छोटू और शेरा एक–दूसरे को देखकर खुश होते हैं।

स्कूल

अब से हम किसी भी बच्चे को अकेला महसूस नहीं होने देंगे।

1098 – ये नंबर हर बच्चे को याद रखना चाहिए।

हाँ! चाइल्डलाइन हर बच्चे का सच्चा दोस्त है।

"वाह! जब साथ हो दस नौ आठ, बच्चे मिलकर करेंगे ठाठ!"

छोटू और शेरा ने रोका बाल विवाह!

छोटू और शेरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के कार्यालय की ओर भागते हैं।

"सर, गाँव में 12–13 साल के बच्चों की शादी होने वाली है। हमें इसे रोकना होगा!"

'बिल्कुल! ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के खिलाफ है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी।''

अधिकारी फोन मिलाते हैं और पुलिस व चाइल्ड वेलफेयर अधिकारियों से बात करते हैं।

"हमें दोनों शादियाँ रोकनी होगी इसलिए हम तुरंत गाँव पहुँच रहे हैं।"

"चलो, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए!"

"वैसे, छोटू, तेरी शादी कब हो रही है?"

"अबे! मैं पहले IPS बनूँगा, फिर देखूँगा!"

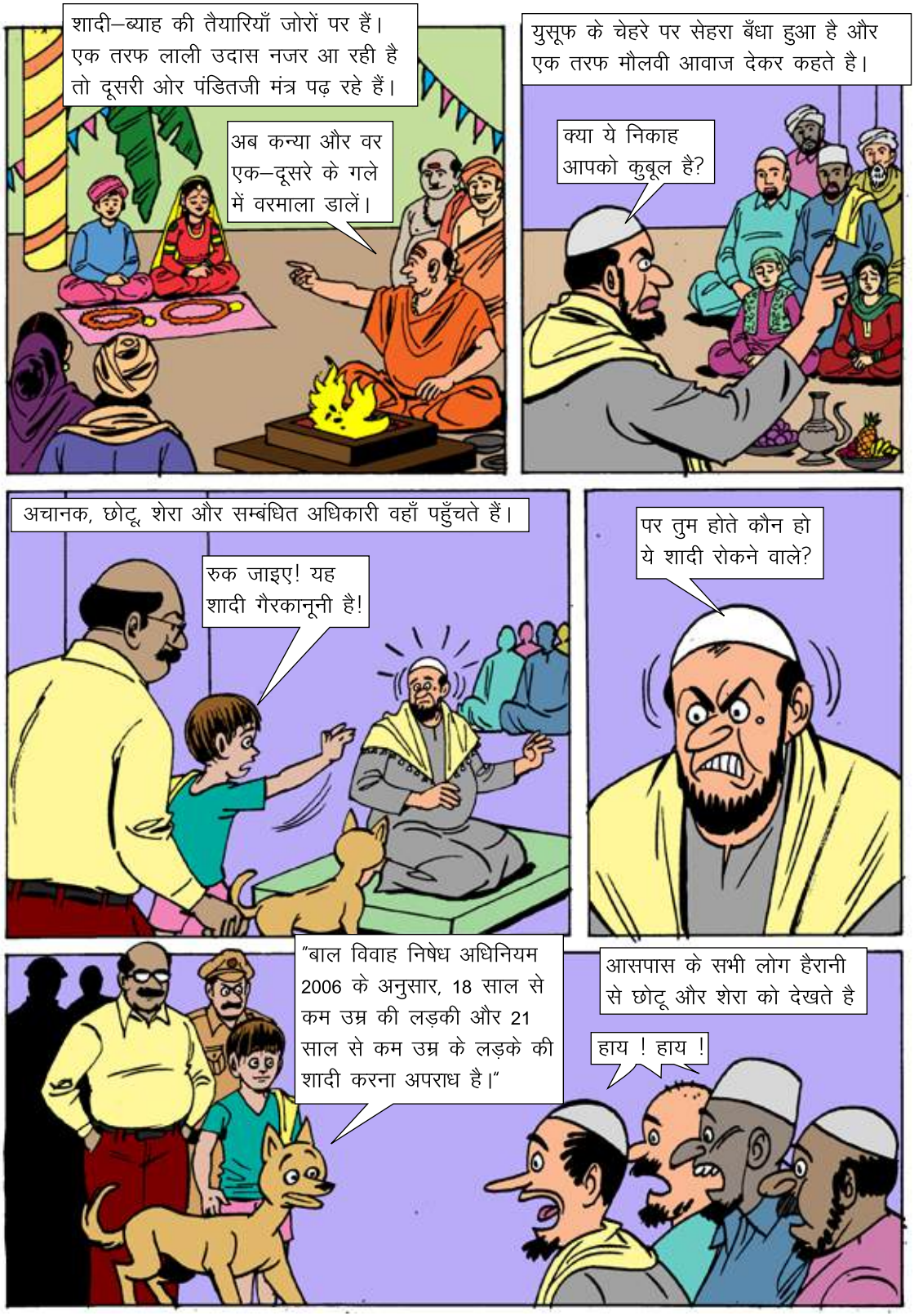
शादी–ब्याह की तैयारियाँ जोरों पर हैं। एक तरफ लाली उदास नजर आ रही है तो दूसरी ओर पंडितजी मंत्र पढ़ रहे हैं।
अब कन्या और वर एक–दूसरे के गले में वरमाला डालें।
युसूफ के चेहरे पर सेहरा बँधा हुआ है और एक तरफ मौलवी आवाज देकर कहते है।
क्या ये निकाह आपको कुबूल है?
अचानक, छोटू, शेरा और सम्बंधित अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं।
रुक जाइए! यह शादी गैरकानूनी है!
पर तुम होते कौन हो ये शादी रोकने वाले?
"बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करना अपराध है।"
आसपास के सभी लोग हैरानी से छोटू और शेरा को देखते है
हाय ! हाय !

पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आगे बढ़ते हैं।
"कृपया शादी तुरंत रोक दें, वरना आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।"
लाली के माता–पिता चौंक जाते हैं।
"लेकिन यह हमारी परंपरा है..."
"परंपरा से ज्यादा जरूरी आपकी बेटी का भविष्य है! कम उम्र में शादी से उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।"
बाल विवाह में शामिल लोगों को दो साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। फिर उसमें चाहे बैंड बाजा वाले, हलवाई, पंडित या मौलवी ही क्यों न हो।
नहीं ये नहीं हो सकता, ये शादी तो होकर रहेगी।

सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं, पंडित और मौलवी दोनों एक सुर में जोर से चिल्लाते है।

ये विवाह मत रोको नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।

सही कहा, ये कानून हमारे रिवायत से बढ़कर थोड़ी ना है।

अधिकारी दोनों की गिरेबान पकड़कर कहते है

देश का कानून हर जगह एक है और उसके अनुसार ये दंडनीय अपराध है समझे? अब बाकि कानून जेल में सीखना।

लाली और यूसुफ का परिवार, हलवाई, बैंडबाजे वाले, पंडित और मौलवी सभी जेल की सलाखों के पीछे खड़े पछता रहे हैं।

याद रखें, लड़कियों की शादी की सही उम्र 18 और लड़कों की 21 साल है।

देखा गाँव वालों बुरे काम का बुरा नतीजा, अब आप सबकी जिम्मेदारी है की अब गाँव में किसी का भी बाल विवाह ना हो।

छोटू और शेरा की दोस्ती है सबसे निराली, तो सब मिलके बजाओ जोरदार ताली।

सब हँसते हैं और खुशी से ताली बजाते हैं।

खतरे की घंटी

छोटू और शेरा स्कूल के पास से लौट रहे हैं, तभी एक बच्ची, डर और घबराहट में दिखती है। छोटू उसे देखकर रुकता है।
SCHOOL
क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही है?
क्या नाम है तुम्हारा?
"कुछ नहीं... कुछ नहीं..."
बच्ची की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वह इधर–उधर देखती है और धीरे–धीरे बोलती है।
"कुछ तो गड़बड़ है! लगता है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है!"
"भैया... मेरा नाम सिम्मी है! अंकल वर्मा... वो स्कूल के पास वाले कमरे में... मुझे गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे..."
ये तो गलत है! यह अपराध है! हमें कुछ करना होगा!

छोटू और शेरा तुरंत स्कूल टीचर फातिमा मैम, के पास जाते हैं।

"मैम, सिम्मी के साथ बहुत गलत हुआ है! वर्मा अंकल ने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की!"

"क्या? यह बहुत गंभीर बात है, बल्कि ये तो पोक्सो एक्ट (बाल यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) का मामला है और इसके तहत हमारे स्कूल प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी है की वो तुरंत इस बारे में पुलिस को सूचित करें।"

"हाँ मैम, हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए!"

''हाँ, हमें POCSO अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी होगी। बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है!

फातिमा मैम तुरंत प्रिंसिपल के पास जाती है और सारा हाल बताती है, प्रिंसिपल तुरंत 100 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं।

हेलो! हमें मदद की जरूरत है आप जल्दी आ जाइए।

पुलिस स्कूल में आती है, जिसमें एक सादी वर्दी पहने महिला किशोर कल्याण अधिकारी (JWO) सिम्मी से पूछताछ करती है।
बताओ बच्चे क्या हुआ है?
रोते हुए पूरी बात बताती है।
सिम्मी, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। तुमने सच बताकर बहुत अच्छा किया।
सर, इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए!
बिल्कुल! POCSO अधिनियम 2012 के तहत, बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण पर सख्त सजा होती है। हम तुरंत वर्मा को गिरफ्तार करेंगे।
पुलिस वर्मा को गिरफ्तार करने निकलती है। इस दौरान सिम्मी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) से सहायता दी जाती है।

अगले दिन चेतना संस्था द्वारा स्कूल में गुड टच और बैड टच जागरूकता सत्र आयोजित किया जाता है, जिसमें पुलिस अधिकारी और चेतना संस्था के कार्यकर्ता बच्चों को इसके बारे में बताते हैं।

बच्चों, याद रखो! 'गुड टच' वह होता है जो प्यार, सुरक्षा और आराम देता है, जबकि 'बैड टच' वह होता है जिससे हमें घिन आये या डर महसूस हो। यदि कोई आपको गलत इरादे छूने की कोशिश करे, तो आपको तुरंत किसी बड़े को बताना चाहिए!

"और हमें 1098 या 100 पर कॉल करना चाहिए!"

हाँ, और POC SO अधिनियम के तहत, ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिलती है!

हर बच्चे को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए। अगर कोई आपको 'बैड टच' करने की कोशिश करे, तो चुप मत रहो!

इतना ही नहीं, चेतना संस्था आने वाले सत्रों में बच्चों से सम्बंधित कानूनों की जानकारी म्यूजिक के माध्यम से भी देंगे।

उधर वर्मा को अदालत में पेश किया जाता है, और गवाहों के बयान के बाद उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है।
"POCSO अधिनियम के तहत, बच्चों के साथ अपराध करने वालों को सख्त सजा मिलती है। सिम्मी को न्याय मिला!"
देखा, सिम्मी! तुझे डरने की जरूरत नहीं थी।
हाँ! अब मैं समझ गई कि हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए!
बिल्कुल! और अगर कोई बच्चा परेशानी में हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए!
छोटू और शेरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी आँखों में नई चमक है। आसमान में फिर से बिजली चमकती है, मानो उनकी ताकत को सलाम कर रही हो।
"अगर आप किसी बच्चे को मुसीबत में देखें, तो तुरंत 1098 पर कॉल करें! हर बच्चे को सुरक्षित और खुशहाल जीवन का अधिकार है!"
"समाप्त – अगली कड़ी में जारी..."

चेतना (**CHETNA**) एक जमीनी स्तर की भारतीय संस्था है, जो दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में सड़क एवं कामकाजी बच्चों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। यह संस्था 8 मार्च 2002 को एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हुई थी। उसी दिन से चेतना ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी यात्रा शुरू की। 'चेतना' का अर्थ है – जागरूकता उत्पन्न करना, और इसका पूरा नाम है - **Childhood Enhancement through Training and Action**। चेतना का विश्वास है कि हर बच्चा, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अधिकारी है। हम मानते हैं कि बच्चे अपनी इच्छा से सड़क पर नहीं आते, बल्कि गरीबी, हिंसा, उपेक्षा, और पारिवारिक विघटन जैसी परिस्थितियाँ उन्हें मजबूर करती हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। चेतना पिछले 22 वर्षों से इन बच्चों के साथ मिलकर काम कर रही है – न केवल सेवा प्रदान करने के लिए, बल्कि उनके साथ मिलकर बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। हम बच्चों को सिर्फ लाभार्थी नहीं मानते, बल्कि उन्हें सामजिक परिवर्तन के नायक के रूप में देखते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि बच्चे ही असली परिवर्तन कर्ता हैं, और हम केवल उस बदलाव को संभव बनाने वाला एक माध्यम है। बच्चों की भागीदारी चेतना की मूल आत्मा है, जो 'बढ़ते कदम' के रूप में सामने आती है, "बढ़ते कदम"– सड़क से जुड़े बच्चों का एक अनूठा संघ है तथा ये संघ अपना स्वयं का पूर्णतः संचालित अखबार चलाते हैं, जिसका नाम है बालकनामा यह दुनिया में अपनी तरह का पहला अखबार है। ज्ञातव्य है की 12 अप्रैल 2016 को 'बालकनामा' को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया का पहला स्ट्रीट बच्चों द्वारा प्रकाशित हिंदी अखबार होने का गौरव मिला है।

CHETNA

हमसे संपर्क करें

Childhood Enhancement through Training and Action (CHETNA)
40/22 मनोहर कुंज, गौतम नगर, नई दिल्ली - 110049

info@chetnango.org

+91 – 11 – 41644471, 41644470

www.chetnango.org

यह कॉमिक सीमित एवं
निःशुल्क वितरण के लिए है।

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें:

facebook.com/www.chetnango.org

instagram.com/chetnango

x.com/chetnango

youtube.com/user/chetnacncp

linkedin.com/company/childhood-enhancement-through-training-and-action-chetna